

कौन से राजनीतिक और वलीय कारण थे, जिनको लेकर आपने यह अपवाद किया, और मेरे सिद्धान्त को मानने के बाव भी इनके हाथ में यह कम्पनी दे दी। असल में आपके साथ मेरा यही झगड़ा और विवाद है। लेकिन आपने इस का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया है।

इस और बँरल के बारे में उन्होंने मंत्रियों और अफसरों के आशोर्बदि से स्टोल कोटा प्राप्त किया, और वह बबोटा ब्लैक में बेच कर बिलक निक्सन गुट की कम्पनियों को अपने कब्जे में ले लिया। 1968 में मैंने जो मेमोरेण्डम भेजा था, उसके ऊपर कार्य-वाही क्यों नहीं की गई? उसी तरह आपने स्वयं यह कबूल किया है—यह आपके मंत्रालय के तहत आता है—कि कापड़िया ग्रुप को कम्पनियों मायति में शैयर-होल्डर्स हैं। और जो 10 परसेंट की पाबन्दी थी, उसका—10 परसेंट रूल का—एक समय पर आपने उल्लंघन किया था।

SHRI BEDBRATA BARUA : The Matter was explained in the House. It was only for a few weeks that the investment exceeded 10 per cent of the paid up capital of Maruti Ltd. It was the shareholding, so far as I remember, of a small company, Filtrona or some company, a small company.

SHRI MADHU LIMAYE : I am referring to that.

SHRI VASANT SATHE : It has nothing to do with Maruti shareholdings. The shareholding of the other company was 10 per cent.

SHRI MADHU LIMAYE : That was a violation. जो नियम था उसका उल्लंघन किया गया।

SHRI BEDBRATA BARUA : It was under the law. Everything was completely regular so far as that matter was concerned.

17.04 hrs.

[*SHRI VASANT SATHE in the Chair*]

SHRI MADHU LIMAYE : It was a violation. You regularised it.

आपने स्वतः राज्य सभा में एडमिट किया है कि आप यह नहीं कर सकते। बाव में आपने इसको रेगुलराइज किया, क्योंकि भारत और कापड़िया का सवाल था।

अभी मैंने आप के सामने नियंत्रित करण्ड का प्रश्न रखा। आप कहेंगे कि यह उद्योग मंत्रालय में आयेगा। मैं आपके सामने इस तथ्य को रखना चाहता हूँ कि कापड़िया ग्रुप क्या चीज है।

आप स्वयं इसके पक्ष में है कि मिलों पर नियंत्रित कपड़ा पैदा करने का जो दायित्व दिया गया है, उसको बंधूरा करें। एंसा न करने पर जूमाना होता है। कुछ कम्पनियाँ गलती तो करती हैं, लेकिन कम से कम जूमाना तो देती हैं। पहली बात तो यह है कि कुल जितना जूमाना मिलों पर लगाया गया है उसका पचास प्रतिशत अकेले कापड़िया का है। दूसरे, यह कम्पनी गलती भी करती है, और उसने जूमाना भी नहीं दिया है।

इस लिए मेरी यह निश्चित राय है कि कापड़िया गुट के साथ आपने पक्षपात किया है। लेकिन चूँकि मेरे बिल के सिद्धान्त को आप ने पहले ही मान लिया है, इस लिए मे इस पर वोटिंग नहीं कराना चाहता हूँ।

MR. CHAIRMAN : The question is :

“That leave be granted to withdraw the Bill further to amend the Companies Act, 1956.”

The motion was adopted.

शुभ लिमये : मैं इस बिल को वापिस लेता हूँ।

17.05 hrs.

**HINDU MARRIAGE (AMENDMENT)
BILL**

(AMENDMENT OF SECTIONS 13 AND 15)

श्री शुभ लिमये (बाँका) : समापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

[श्री मधु लिमये]

यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है, और इस विधेयक पर कम से कम डेढ़ लाख लोगों का भविष्य निर्भर करता है। इस बिल के द्वारा मैं चाहता हूँ कि हिन्दू मैरिज एक्ट के तहत विभिन्न कार्यवाहियों के लिए जो अवधि, मियाद, निश्चित की गई है, उस को घटाया जाये। यह विधेयक पेश करने के बाद इतने पत्र मेरे पास आये हैं, जितने किसी भी विधेयक के बारे में कभी नहीं आये।

श्री राम सहाय पांडे (राजनंदगांव) : उनको टेबल पर रख दीजिए।

श्री मधु लिमये : अगर माननीय सदस्य धर्मयुग में इस पर लिखेंगे, तो मैं उन के खिदमत में यह सब पत्र-व्यवहार रख दूंगा।

कृष्ण व्यास नाम के एक व्यक्ति ने मुझे पत्र लिखा है। उन्होंने अपने अनुभव से बताया है कि अगर दुर्भाग्य से विवाह फ़ैल, असफल, हो जाता है, तो उसका विच्छेद करवाने के लिए, और नया विवाह करने के लिए, कुल मिला कर कितना समय लग जाता है। वह कहता है कि मान लीजिए अगर किसी लड़के की शादी 28 साल की उम्र में हुई, तो क्या स्थिति होती है। वह कहता है कि मान लीजिए कि दो तीन सालों के बाद दोनों अनुभव करते हैं या एक अनुभव करता है, कि शादी फ़ैल हो गई, तो तीन साल इसमें गये। वह कहता है कि उस के बाद अदालत में जाने के लिए और दो साल जाने चाहिए, और फिर अदालत की कार्यवाही पांच साल चलती है। तब तक उस को उम्र 37 साल की हो गई। उसके बाद अदालत का निर्णय हो जाता है, और निर्णय के बाद दोबारा शादी करने के लिए फिर एक साल तक शादी करने का निषेध है। अगर वह नई शादी तय करने के लिए बहुत तेज़ी से भी आगे बढ़े तो भी एक और साल बीत जाता है। उसने अपना व्यक्तिगत अनुभव दिया है कि इस तरह चालीस साल की उम्र हो जाती है। अगर

मान लीजिए कि स्त्री ने 22 साल की उम्र में शादी की, तो भी उसकी उम्र 34 साल हो जायेगी। हमारे देश में सामाजिक स्थिति ऐसी है कि विवाह-विच्छेद होने के बाद महिलाओं को दोबारा शादी होना मुश्किल है।

उसमें भी उन को उम्र अगर 34-35 साल हो जायेगी, तब तो उनका जीवन ध्वस्त हो गया, जिन्दगी ध्वस्त हो गई—हमेशा के लिये। इस लिये मैं इसको मानवोद्य दृष्टिकोण से देखना चाहता हूँ।

कल, सभापति महोदय, मैं एक सिनेमा देखने गया था और वही सिनेमा देखने आप भी गये थे। “आंधी” नाम का सिनेमा देखने के लिये हम लोग गये थे...

श्री शशि भूषण (दक्षिण दिल्ली) : क्या दोनों साथ गये थे।

श्री मधु लिमये : साथ तो नहीं गये थे। न मुझे को मालूम था कि वे जानेवाले हैं और न उनको मालूम था कि हम जानेवाले हैं। मैं किस कारण से गया था—अखबार में छपा था कि वह सिनेमा प्रधान मंत्री जो के जीवन पर है और चूँकि उस को जो रुचि है वह निम्न स्तर की है, इस लिये उस पर कोई बैन लगने जा रहा है, इस लिये हमने सोचा कि देखें, उसमें क्या है...

श्री शशि भूषण : मधु लिमये जी, माफ़ कोजियेगा। जो सिनेमा बनानेवाला है उसने इस बात से इन्कार किया है कि किसी पात्र को सामने रख कर वह बनाया गया है।

श्री मधु लिमये : मैं कल सिनेमा देखने गया था—केवल इतना ही बता रहा हूँ, आप क्यों दखल देते हैं।

श्री शशि भूषण : आप तीसरी बार इस सिनेमा का जिक्र कर रहे हैं, क्या आप इस सिनेमा के प्रचार के एजेंट बन गये हैं?

श्री मधु लिमये : ऐसा हो मान लीजिये। आप भी देख लीजिये।

सभापति महोदय : इससे प्रभावित हो कर आप भी देख लीजिये ।

श्री मधु लिमये : सभापति महोदय, आप और हम कल इस सिनेमा को देखने के लिये गये। लेकिन उसे देखने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई उसको मंशा खराब है। लेकिन अन्त में आपने नोट किया होगा—जब आर्तो देवो चुनाव जीत कर हैलीकाप्टर पर बैठती है तो उससे उसके पति के पर छुआये गये हैं। मुझे पता नहीं आपने इसे नोट किया या नहीं, लेकिन यदि आप ने नोट किया है तो जो पुरुषीय अहम होता है, मेल-इंगो, उसको पूर्ति कराने का काम डायरेक्टर के द्वारा किया गया है और यह समान में जो वर्तमान दृष्टिकोण है—मेरी राय में—वह उसको प्रतीक है। हमें जो सब से खराब बात लगी—पूरे सिनेमा में—वह यही लगी कि समाज में जो पुरुषों का अहंकार है, अहम है, इंगो है, उसको पूर्ति कराने के लिये—यद्यपि उसको बहुत शक्तिशाली औरत दिखाया गया है—उससे पर छुआय गये । . . .

श्री शशि भूषण : आज तो पुरुष भी पत्नी के पर छूते हैं ।

श्री मधु लिमये : आपको यह अच्छा लगता है, लेकिन सरोजनी जो को यह अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इस तरह की बात जो बिलकुल दकियानूसी है, सड़े हुए दिमाग का प्रतीक है। मैं पिक्चर के बारे में राय नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन आज जब हम लोग समाज कि सुधार की बात कर रहे हैं और उस पर ही मेरा विधेयक यहां आ रहा है—तब समाज में इस तरह की जो मनोवृत्ति है, वह निन्दनीय मनोवृत्ति है। इसी लिये मने इसका उल्लेख यहां पर किया है। मेरी राय में जो जो विवाह सम्बन्धी कानून हैं, इनमें मौलिक और व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है, तकरोबन सभी धाराओं में परिवर्तन की आवश्यकता है ।

इसलिये सब से पहले तो मैं सरकार से बनति करना चाहता हूँ कि बहुत ही जल्द

आप इसके सम्बन्ध में एक व्यापक विधेयक ले आइये। मेरे विधेयक को जो मंशा है वह तो सीमित है और उसमें मैं केवल मानवीय दृष्टिकोण से विचार कर रहा हूँ। मुझे पता लगा है कि पूरे देश में इस तरह के लगभग डेढ़ लाख केसेज हैं . . .

श्री नरेन्द्र कुमार सार्वे (बेतूल) : कोर्ट में है ।

श्री मधु लिमये : कुल मिला कर इस तरह के केसेज हैं। अगर इस कानून में परिवर्तन नहीं किया जायगा तो इन का जीवन तो ध्वस्त ही हो रहा है, लेकिन आगे अन्य लोगों का भी जीवन ध्वस्त होगा। इस लिये इतना हो नहीं, हिन्दू मैरिज एक्ट और अन्य कानूनों में भी व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है । . . .

श्री शशि भूषण : हिन्दू मैरिज एक्ट की आवश्यकता ही नहीं, जनरल मैरिज एक्ट होना चाहिये ।

श्री मधु लिमये : उसके बारे में जब तक आप लोग बैठेंगे नहीं, तब तक उसके बारे में कार्य-वाही नहीं होगी ।

सभापति जी, मेरे पास एक कमेटी की रिपोर्ट है—स्टेटस-आफ-वुमैन-इन-इण्डिया—यह चार हिस्सों में है और मैं एक दिन रात भर इसको पढ़ता रहा। कोई बहुत क्रान्तिकारी रिपोर्ट नहीं और मुझे बहुत अफसोस है कि ग्रामीण महिलाओं की जो समस्याये हैं उनकी चर्चा इन शहरी महिलाओं ने बहुत कम की है। इसमें ग्रामीण महिलाओं के लिये वर्धा टाइप की लैट्रीन के निर्माण का कार्यक्रम वरीयता के आधार पर किया जाय, इस तरह का कोई सुझाव नहीं दिया है, इस लिये कि शहरी महिलाओं को देहाती महिलाओं की जो समस्याये हैं उनका अहसास नहीं होता है ।

दूसरी बात—जो पीने का पानी है, जो पम्पिंग सेट के जरिये आता है या जिसको आप पाइपड वाटर कह सकते हैं, इसका इन्तजाम आज ग्रामीण इलाकों में, बहुत कम देहातों में है और

[श्री मधु लिमये]

मैं आज कानून मंत्री जी से कहना चाहता हूँ— कई इलाकों में खास कर राजस्थान, गुजरात, आदि इलाकों में—मैं अकाल की बात नहीं कह रहा हूँ, साधारण तिनो में भी—दो-तीन मील दूर से बीरतो को पीने का पानी लाना पड़ता है। कई जगहों पर तो कुओं की गहराई इतनी नोची है कि कुओं से पानी निकालते-निकालते वे थक जाती हैं। मैं कुछ साल पहले गुजरात के बीरे पर गया था, पेटलाद के पास एक बहुत अच्छा गाँव था, वहाँ द्यूब-बेल का पानी था। वहाँ के लोग कुछ गम्भीरता में और कुछ मजाक में कह रहे थे कि हमारे गाँव की जो लडकियाँ हैं, जब उनकी शादी कराते हैं तो पहले पूछते हैं कि क्या उस गाँव में द्यूब-बेल और पम्पिंग सेट का पानी है या हमारी लडकियों को दो-तीन मील दूर पानी लाने जाना पड़ेगा और चूँकि कूप गहरे हैं, इस लिये पानी खींचते खींचते उनकी कमर टूट जायेगी। यह पन्द्रह साल पहले की बात है, लेकिन आज की स्थिति में भी कोई विशेष फर्क नहीं पडा है।

इस पर आज हम कोई बहस नहीं कर रहे हैं, फिर जब कभी मौका मिलेगा इस पर बहस करेंगे। लेकिन मैंने एक-दो नुक्ते आप के सामने रखे हैं।

तीसरी बात जो मुझे इस रिपोर्ट में अच्छी नहीं लगी—आज शहर की जो मध्यम वर्ग की महिलाएँ हैं वे या तो स्टोक का इस्तेमाल करती हैं जो केरोसीन से चलता है या आज कल शहरों में बुरशान या दूसरे तरह की गैस चलाने लगी है...

सभापति महोदय : क्या आपके बिल से इसका ताल्लुक है ?

श्री मधु लिमये : मैं इससे ताल्लुक जोड़ रहा हूँ।

श्री शशि भूषण : महिलाओं और पुरुषों के बीच की बात है—सम्बन्ध तो जुड़ा ही हुआ है, रहने बीजिये।

श्री मधु लिमये : मैं निश्चयन कर रहा था वह जो रिपोर्ट आई थी—उसकी आलोचना का मेरा पहला भाग यह है कि उन्होंने शहरी महिलाओं के नुकतेनजर से देखा है—दूसरी लिये मैं यह उदाहरण दे रहा था। ग्रामीण इलाकों में कई ऐसे किसान ग्रहस्थ हैं जिनके पास 8-9 जानवर हैं। इन्होंने यह सुझाव तक नहीं दिया कि उनके लिये लाजमी किया जाय कि वे वहाँ गोबर गैस प्लांट लगायें ताकि खाद का भी इन्तजाम हो सके और गोबर जला कर या लकड़ी जला कर उनकी जो आले धुएँ से खराब होती हैं, उससे उनको बचाया जा सके। यह ठीक है कि सबके लिये ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन यदि 5-10 प्रतिशत महिलाओं के लिये भी इन्तजाम कर सके तो कृषि का भी कल्याण होगा और महिलाओं का भी कल्याण होगा। मैं इसमें अधिक विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरा यही कहना था कि इस रिपोर्ट में यह बड़ा कर्म, रह गई है कि ग्रामीण महिलाओं का समस्याओं की चर्चा इस में नहीं है। लेकिन शादी विवाह के जो कानून हैं।

सभापति महोदय : आपका बिल भी शहरी लोगों को लेकर है।

श्री मधु लिमये : यह गलत बात है। यही तो मैं कहने जा रहा हूँ कि इस तरह की जो संप्रैटेड महिलाएँ हैं और मर्द हैं, इनकी अधिकांश सख्या ग्रामीण इलाकों में है।...

श्री शशि भूषण : सभापति जी, यह बिल शहरी लोगों के लिये है। गाँवों में 80 प्रतिशत बीरते, हरिजन और आदिवासी, अपनी पंचायतों में फैसला करती हैं, वे मधु लिमये जी के बिल का इन्तजार नहीं करेंगी।

श्री मधु लिमये : मैं यही बतलाना चाहता हूँ—इन्होंने खुद जो फिंगर्स दिये हूँ उनमें कहा गया है कि इस तरह के जो कौन्सेल हैं, उनमें 80 प्रतिशत देहाती महिलाओं के कौन्सेल हैं, देहाती पुरुषों के कौन्सेल हूँ। स्टेटिस्टिक्स दिये हुए हैं। आप जो कस्टमबासी बात कर रहे हैं

उस परती में आने वाला हूँ। तो मैं यह कह रहा था कि इसमें विवाह और उसके विच्छेद के बारे में एक पूरा प्रकरण है, उसकी चर्चा की गई है। इसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि इन का यह सुझाव है कि क्रूरता और छोड़ देना पत्नी को या यह जो मेन्टेनेंस वाली समस्या है इसके बारे में ला कमीशन का भी जो क्विवार है, जो मैं उद्धृत करने वाला हूँ, और इनकम्पेटेबिलिटी, इसके बारे में इन्होंने चर्चा की है। आज हमारे कानून के तहत परस्पर सम्पत्ति से भी विवाह विच्छेद नहीं हो सकता, और एक दूसरे के साथ चल नहीं पाते यह भी विवाह विच्छेद का आधार नहीं हो सकता। यह बहुत सारी त्रुटियाँ हैं इसलिए मैं कमेटी के कुछ सुझावों को उद्धृत करना चाहता हूँ।

अभी माननीय शशि भूषणजी जिस बात का उल्लेख कर रहे थे उसके बारे में इस कमेटी ने सुझाव दिया है कि :

It has been suggested that the Ministry of law should prepare an exhaustive record of the customs relating to divorce found in different States and set up a panel of socio-legal experts to determine if any of these customs are invalid.

यह इसलिये दिया है कि क्यों कि आप जानते हैं कि हमारे संविधान के अनुसार कानून की जो परिभाषा की गई है उसमें रस्म रिवाज भी आते हैं और जो संविधान की धारारों हैं मौलिक अधिकार की उनसे जो रिवाज मेल नहीं खाते, मान लीजिये अगर कोई कस्टम ऐसा है कि जिसमें पुरुषों का तो एक तरफ़ा विवाह विच्छेद कराने का अधिकार है और महिलाओं को नहीं है तो क्या अपने वर्तमान संविधान के अनुसार जिसमें समानता का सिद्धान्त आपने माना है, इस तरह की रस्म और रिवाजों को आप चलने देंगे? तो मैं मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि खोज कर के कौन से कस्टम ऐसे हैं कि जो मौलिक अधिकारों से मेल नहीं खाते हैं और इसलिये वह वैर-कानूनी और असं-

वैधानिक हैं, इनकी सूची बननी चाहिये और उसका प्रसारण करना चाहिये। यह इन्होंने एक सुझाव दिया है, और मैं इसकी तार्ख कर रहा हूँ।

दूसरा सुझाव इन्होंने यह दिया है कि :

We recommended legislation to eliminate the unilateral right of divorce, and to introduce parity of right for both partners regarding grounds for seeking dissolution of marriage.

समानता के सिद्धान्त के अनुसार इन्होंने यह सुझाव दिया है, और इसकी भी मैं तार्ख कर रहा हूँ।

समापति महोदय, 1955 के हिन्दू मैरिज ऐक्ट के अनुसार हम लोगों ने अनेक विवाह प्रणाली, या मराठी में जिसको हम विवाहार्थ्य प्रतिबन्ध कानून कहते हैं, इसका प्राविधान किया। उसके बावजूद हम सदन की जानकारी के लिये मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूँ क्यों कि लोगों को कुछ गलतफ़हमी है कि अनेक पत्निया करने की प्रणाली मुसलमानों में ज्यादा है और हिन्दुओं में चूँकि अब प्रतिबन्ध लग गया है इसलिये वह समाप्त हो गई है। ऐसी बात नहीं है। यह जो आंकड़े दिये गये हैं, मैं पहले हिन्दू, मुसलमान और बाद में आदिवासियों में क्या इस वक्त चल रहा है, इसके बारे में अनेक पत्नी प्रणाली के बारे में, उसके आंकड़े दे रहा हूँ।

जहाँ तक हिन्दुओं का सवाल है 1931 और 1940 के बीच में अनेक पत्नियाँ करने वाली जो बात है, उस का अनुपात 6.79 परसेंट था। 1941 और 1950 में यह बढ़कर के 7.15 परसेंट हुआ। शायद इसकी एक कारण यह हो सकता है कि चर्चा चल रही थी कि हिन्दू कोड बिल आ रहा है इसलिये जल्दबाजी में कुछ लोगों ने शादियों बैंगरु की होंगी। और 1951 और 1960 के बीच में जब यह कानून कार्यान्वित हो गया तो उसके बाद यह अनुपात 5.06 परसेंट हो गया।

[श्री मधु सिन्घे]

अब जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है 1931 और 1940 के बीच में यह अनुपात 7.29 परसेंट था। फिर उन में भी 1941 और 1950 में कुछ घटा और 7.6 परसेंट हो गया। और 1951-1960 के बीच में यह में अपने जनसंख्यी वृद्धि की जानकारी के लिये कहना चाहता हूँ कि यह इतना घटा कि 4.31 परसेंट हो गया। यानी मुस्लिम परसंख्ये ला में पौलीगमी की छूट है, हिन्दू परसंख्ये ला में नहीं है, लेकिन फिर भी गैर-कानूनी तरीके से हिन्दूओं में आज भी 5.06 परसेंट है और मुसलमानों में

श्री नरेन्द्र कुमार साहब : प्रीसीक्यूशन होना चाहिये।

श्री राम रत्न शर्मा (बादा) : कौन प्रीसीक्यूशन करेगा ?

श्री मधु सिन्घे : आज तो मेरा खयाल है कि परिवार के सदस्यों को यह छूट है करने की। एक महिला कानून मन्त्रालय में है, और एक सरकार की प्रमुख है। कोई काम जरूर किया जाय।

श्री मुसलमानों में अनेक पत्नी वाली प्रथा भी होते हुए भी 4.31 परसेंट है और हिन्दुओं में पाबन्दी लगने के बाद 5.06 परसेंट है। यह तो मेरे पास 1960 तक के आंकड़े हैं, अगर उसमें भी ताजा आंकड़े मंत्री महोदय के पास होंगे तो वह सदन के सामने रखें।

और एक चिन्ता का विषय है कि इन आंकड़ों से आदिवासियों...

MR. CHAIRMAN : Minister, please ; kindly make a note of this. If you have the latest information, that would be of some help.

श्री मधु सिन्घे : आदिवासियों के बारे में विचार का विषय यह है कि...

श्री श्री० जी० बरकतुल्लाह (अहमदाबाद) : हमको 1961 और 1970 के आंकड़े चाहिये।

श्री मधु सिन्घे : केकस में क्या-क्या सुझाव जाते हैं उस पर भी यह निर्णय करता है। आदिवासियों के बारे में विचार का विषय यह है कि जहाँ 1931 और 1940 में यह पौलीगमी वाला मामला 9.53 परसेंट था वह 1941 और 1950 में 17.63 परसेंट हो गया और 1951 और 1960 में 17.98 परसेंट, यानी तकरौबत 18 परसेंट हो गया। यह बहुत ही गम्भीर परिस्थिति है जिस पर यह आंकड़े रोशनी डालते हैं। अगर 1970 तक के आंकड़े मिल जायें तो पता लग जायेगा कि इनमें सुधार हुआ है या गिरावट आयी है।

अब सभापति महोदय, इन्होंने जो सुझाव दिया है कि सम्पूर्ण विभिन्न प्रक्रियाओं के लिये क्या होना चाहिये, लेकिन जब मैं काम्प्रीहेसिव लेजिस्लेशन की भाग करता हूँ तो मेरा यह कहना है कि विवाह विच्छेद के लिये कारण क्या होने चाहिये इसके ऊपर पुनर्विचार होना चाहिये। और इसमें इन्होंने जो कहा है कि :

"The question of grounds for divorce needs to be re-examined. The present law does not provide for cruelty, desertion, incompatibility and mutual consent. It should be the objective of all legislation to remove the causes of avoidable unhappiness."

यह ए० सुझाव है। दूसरा सुझाव इन का यह है :

"In the opinion of the Committee on Status of Women, cruelty and desertion should be added as grounds for divorce in the Hindu Marriage Act so that persons are not compelled to follow the present circuitous route and undergo the expense of going to court twice."

यह भी उन्होंने कहा है। इस सिलसिले में मेडिटेशन के बारे में यह ला कमीशन की रिपोर्ट है। इस में पृष्ठ संख्या 68 पर यह लिखा हुआ है :

"At present, desertion is not a ground of divorce under the Hindu Marriage Act. It is a ground of judicial separation under section 10, but this affords no practical relief, because when one party has deserted the other, the grant of judicial separation merely enables the deserted party

to obtain a ruling from the court that, because of the unjustifiable conduct of the deserter, the deserted party will not be bound to cohabit with the deserter."

यानी उन के खिलाफ क्या आप कहते हैं :

Restitution of conjugal rights.

इस तरह का आडर केवल नहीं होगा। बाकी जो संकट है, तकलीफ है, वह वैसे ही रह जाएगी।

"The fundamental duty of the parties to a marriage is to stay together, and to give each other the warmth and support expected by the partners in the marriage. If this warmth and support be denied, the marriage falls in its substratum, and the situation is an appropriate one for the grant of divorce-subject, of course, to the usual safeguards. It would, therefore, be appropriate if desertion for a specified period—say two years—is made a ground of divorce under section 13(1) of the Hindu Marriage Act, by inserting a new clause for the purpose."

सभापति महोदय, गोखले साहब के द्वारा एक विधेयक का मस्विदा भेजा गया लेकिन जब मैं ने मस्विदा पढ़ा तो मुझे लगा कि वह अपूर्ण है और फिर जो यह नई कमेटी स्टेटस आन विमन वाली आई है। इनको सिफारीशों को मद्यनजर रखते हुए, इसको री-कास्ट करना चाहिए और अभी जो आंकड़े मैंने दिये हैं, इसके बारे में मेरा कहना यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने महिलाओं की विभिन्न समस्याओं के बारे में कुछ कंवेंशंस जारी किये हैं और अफसोस की बात है कि इन कंवेंशंस के ऊपर, हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य होते हुए भी और संयुक्त राष्ट्र संघ के बहुत बडेसमर्थक होते हुए भी हम लोगों ने इन कंवेंशंस के ऊपर अमल नहीं किया है।

एक मुझाव तो यूनाइटेड नेशंस का यह था कि सभी तरह की शादियों, किसी भी जाति या धर्म के वे हों, को लोगों को रजिस्टर करना चाहिए और विवाह हुआ है या नहीं, शादी हुई है या नहीं, उसकी एकमात्र सबूत अन्त में

यह होना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो। यह बिल्कुल ठीक बात है क्योंकि यह जो हिन्दुओं में पोलोगमी बढ़ रही है, वह न बढ़े। मैं कुछ लोगों को भी जानता हूँ कि वे क्या करते हैं। वे दूसरी शादी कर लेते हैं क्योंकि पहली पत्नी-से शादी बहुत पहले हुई थी और सबूत देने वाले नहीं रहते हैं। अगर कोई कानूनी कार्य-वाही करे तो यह झंझट आएगा, कि सप्तपदी हुई थी या नहीं? इस का कोई सबूत नहीं मिलता, लेकिन शादी-विवाह को रजिस्टर करने की बात अगर हो जाएगी, तो सभापति महोदय बहुत कुछ हद तक इसके ऊपर रोक लग सकती है। इसलिए मेरा मुझाव यह है कि यूनाइटेड नेशंस की जो कंवेंशंस हैं, उनको कार्यान्वित करना चाहिए। मुझे खुशी हुई है कि इन्होंने भी अपनी रपट में इस बात को पुष्टि की है और इन्होंने कहा है कि इस तरह का रजिस्ट्रेशन करने वाला कानून बहुत जल्दी बनाना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि सरकार जो नया कानून बनाएगी, इसमें वह इस तरह का कोई प्रावधान करेंगी।

सभापति महोदय, दक्षिण से मेरे पास एक महिला का, जिसने इस कानून के कार्यान्वयन का रिसर्च किया है, एक प्रबन्ध आया है और उसमें उन्होंने वर्तमान कानून में जो त्रुटियाँ हैं और लोगों को किस तरह से तकलीफ झेलनी पड़ती हैं, उसका बहुत अच्छी तरह से विश्लेषण किया है और इसके बात वे इस नतीज पर पहुंची हैं कि इस कानूनी में बहुत बड़े पैमाने पर परिवर्तन की जरूरत है। मैं आशा करता हूँ कि मेरे जो ये मुझाव हैं उनको मंत्री महोदय मान लगे और इस बिल को तो पास होने दीजिए और बाद में जो काम्प्रीहेंसिव बिल लाना चाहते हैं, उसको लाइए। मैं आप से डेढ़ साल से कह रहा हूँ और गोखले साहब जब मुझे से मिले तो उन्होंने कहा कि मैं आप के सिद्धांत को मानता हूँ लेकिन मैं और व्यापक बिल चाहता हूँ। तो और व्यापकता के नाम पर अगर यह मामला टलता रहा, तो बहुत गलत काम होगा।

[श्री मधु लिमये]

अन्त में मानवीयता और कैरिडो के नाम पर सभी महोदय से अपील करना चाहता हूँ कि इस विधेयक को वे जल्दी पास कराएँ। मैं सभी महोदय से बहुत बड़ी अपेक्षाएँ रख रहा हूँ और आशा करता हूँ कि बहुत जल्दी आप इस रिपोर्ट पर बहस करने का मौका दिलाइए। कानून मंत्रालय की ओर से, गोखले साहब तो कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, उनसे आप कैबिनेट में कहलवाइए कि जो गवर्नमेंट टाइम होता है, उस में इसको प्रायर्टी मिले। वहाँ पर वे इसके लिए प्रायर्टी मांगें। यह पार्लियामेंट बहुत सी दूसरी चीजों पर अपना बहुत सा समय बिताती है, जिसको आप कह सकते हैं कि वे पोलिटिकल चीजें हैं लेकिन सामाजिक मुद्दों पर उतना समय नहीं मिलता। आप मुझसे पूछें कि मेरा सबसे आनन्ददायक क्षण कौन सा रहा है, तो मैं आपको बताऊँ कि फीरेन मैरिज एक्ट, जो छः साल से राज्य सभा में और इस सभा में पड़ा था और चौथी लोक सभा में मैंने प्रधान मंत्री जी के साथ, अध्यक्ष के साथ और सबके साथ झगडाकर के और आपके सामने हथिय जोड़ कर, बिना बहस पास करवाया था वह क्षण मेरे लिए बहुत आनन्ददायक था। इसके अलावा जो हिन्दू मैरिज एक्ट का दूसरा एम्बेडमेंट था, उसके लिए भी मैंने उस दिन बड़ा जोर दिया था कि बहस को जरूर करवाइए क्योंकि बहुत सी विवादस्पद बातें हैं लेकिन उसको पास कीजिए और वह पास भी हुआ था। सामाजिक कानूनों के मामले में मैं इस सदन के किसी भी सदस्य से पीछे नहीं हूँ और हमेशा इस पर मैं जोर देता हूँ। श्री मेरा यह कहना है कि आप अपने मिनिस्टर से, प्रधान मंत्री जी से इस पर झगड़ा कीजिए कि इन्टरनेशनल वीमन इबर जब हम इस साल मना रहे हैं तो महिलाओं और औरतों को जो तकलीफें हैं केवल लेजिस्लेशन में ही नहीं बल्कि एन्टायर गैजट आफ पब्लिकेशन एक्टिविटी में उस का प्रतिबिम्ब होना चाहिए और कुछ अच्छा काम इस साल में होने चाहिए, तभी यह सार्थक माना जाएगा।

MR. CHAIRMAN : Motion moved :

"That the Bill further to amend the Hindu Marriage Act, 1955, be taken into consideration."

श्री राम सहाय बांडे (राजनंदगांव) : सभा-पति जी, मधु लिमयेजीने जो हिन्दू कोड बिल पर संशोधन उपस्थित किया है, मैरिज एक्ट पर संशोधन उपस्थित किया है, उससे मुझे ऐसा लगता है कि उनकी चतुर्मुखी प्रतिभा न केवल राजनीति के परिवेश में केन्द्रित है वरन् सामाजिक दृष्टिकोण भी उनका है और वे समाज के मुद्दों के सम्बन्ध में भी विचार करते हैं और चिन्तनशील होते हैं। बड़ी सरलता के साथ और बड़ी गंभीरता के साथ उन्होंने इसको कहा और मैं इस बात पर उनको समर्थन देता हूँ कि यदि सम्बन्ध-विच्छेद, वैवाहिक सम्बन्ध-विच्छेद के सिद्धांत को हमने कानून के माध्यम से स्वीकार किया है, तो उस का निर्णय त्वरित होना चाहिए और जीवन के वे क्षण, जिनमें पुनर्विवाह करने की प्रक्रिया में उसको अवस्था मार्ग में न आए क्योंकि विवाह का सम्बन्ध किन किन कारणों से होता है यह आपसे और हमसे और संसद सदस्य जो यह बैठे सुन रहे हैं छुपा नहीं है और वे सब के सब जानते हैं कि विवाह क्यों होता है यद्यपि विवाह का मूल रूप बहुत पुराना नहीं है। यह सिद्धांत यह संकल्प या प्रावधान हमारी सरोजिनो जी जानती हैं। वे बड़ी विद्वान हैं, विदूषी हैं और वेदान्तो भी हैं और उन्होंने ऊँर इसको खोज को होगी। यह बहुत पुराना इस्टीमेशन नहीं है। हजारों बरस पहले नदी के किनारे किनारे जब मानव घूमता था तब वैवाहिक प्रथा नहीं थी। जब खेतों की प्रक्रिया का युग आया, जब मानव जमीन पर बस गया, भवन निर्माण का कुछ ज्ञान उसको हुआ, अग्नि का कुछ उसको पता चला, खेती से किसकिस प्रकार का अन्न पैदा हो सकता है जब इसका उसको ज्ञान हुआ, जब उसको सम्पत्ति का ज्ञान हुआ, सम्पत्ति के समूह का ज्ञान हुआ, उसके एकत्रीकरण का ज्ञान हुआ, भरण पोषण का ज्ञान हुआ, सामाजिक जीवन को संगठित करने का ज्ञान हुआ, जब वह

गंध में बसा तब से उसको वैवाहिक जीवन बिताने की बात सुनी, तब इस भोज का सूत्रपात हुआ। मेरे बच्चों के अधिकार क्या हों इसका उसको पता चला। तब दो मिले और एक से अनेक हुए। बहु विवाह को प्रथा भी तब चली। चूंकि समाज तब सुसंगठित नहीं था, बिखरा हुआ था इसलिए बहु विवाह को प्रथा भी चली। अनेक बच्चे पैदा करके धरती की सेवा में उनको लगाना ही उसने उचित समझा। हलके हलके परिस्थितियां बदली, जीवन का परिवेश बदला और आज का जो औद्योगिक जीवन है वह आदि जीवन से बड़ा भिन्न है, उस में जमीन आसमान का अन्तर है। आज क्वालिटीव, वैचारिक क्रांतियां आई हैं, तमाम विवेक, तमाम ज्ञान शान्ति व्यवस्था और एक दूसरे का आदर करना, इसकी अनुभूति उसको हुई। यह आज के युग की ही देन है। इसके पहले क्या था? पत्नी पति को आराध्य मानती थी और इसलिए मानती थी कि वह उसको भोजन देता था। वैसे समाज में स्त्रियों का महत्त्व पुरुष से अधिक होना चाहिये। एक कवि ने एक दोहे में बहुत ही सुन्दर कहा है कि विवाह में बड़ा होना, छोटा होना, शहरी होना, गांव का होना, आदि-बासी होना, हरिजन होना, सर्वण होना कुछ नहीं है। विवाह का सांसारिक और सांसारिक तत्व दर्शन जो है वह उमने एक दोहे में कह दिया है :

टूट छाट घर टपकत टटियों टूट
पियको चाहें उसि सबा सुखको लूट

छाट टूटी हुई है, टटियों जो चारों तरफ लगी हुई हैं संरक्षण के लिए वे भी टूटी हुई हैं, घरों में जो बने हुए हैं वे भी टूट रहे हैं, घर में पानी भी टपकता है लेकिन मेरे प्रोत्तम को जो चाहे है वे मुझे सुख देने के काम करती हैं हम दोनों बाहु-पाश में आत्म विभोर हो रहे हैं। यह काव्य नहीं है। इसमें सानिध्य है, इसमें प्रेम है, इसमें आह्लाद है, इसमें मिलन है, एक दूसरे के प्रति आत्म विभोर होने तथा समर्पित होने के भाव हैं। जैसे जैसे समाज आप बड़ा है, सो काले सिविलाइज हुआ है, उसमें गारी नहीं

बिगड़ी, नर बिगड़ गया है और इसलिए बिगड़ा है कि आरम्भ से जो कंसेप्ट पोजिबनेस का रहा है, मास्टरो का रहा है, ओनरशिप का रहा है, सम्पत्ति का रहा है, अधिक बच्चे पैदा करने का रहा है, अधिक विवाह करने का रहा है यह सब का सब पुरुष द्वारा रचिन है, पुरुष द्वारा स्वीकृत है, पुरुष द्वारा लिखित है, पुरुष द्वारा प्रेरित है। इसलिए हमें महिला वर्ग में जिसको हम बना रहे हैं, इस बिल का आना बहुत ही अच्छा है।

सब से पहली बात तो यह है कि जिनकी विडम्बनाएं हैं, मैं हिन्दू हूँ, मुस्लिम हूँ, क्रिस्चियन हूँ इनमें कोई सार नहीं है। प्रकृति की गोद में बच्चा पैदा होता है तब न वह हिन्दू होता है, न मुस्लिम न क्रिस्चियन। वह तो किलकारियां मारना जानता है। जैसे वह बड़ा होता है समाज उसको विभक्त कर देना है और कहता है कि यह हिन्दू है या मुसलमान है। सांस्कृतिक जीवन में जीवन के परिवेश में उसको एक संज्ञा दी जाती है कि तू हिन्दू है, तू मुसलमान है, तेरे ये ये अधिकार हैं, तू क्रिस्चियन है, तू पारसी है, तू सिख है और तेरे ये ये अधिकार हैं। लेकिन मच्छाई से आप विचार करे तो न कोई हिन्दू है, न मुसलमान, सब के सब इंसान हैं और सब बराबर हैं। विवेक का यह तकाजा है कि एक दूसरे के प्रति कोई अन्याय न करे, जीवन सुगम हो, एक दूसरे के प्रति समर्पण को भावना से काम करे और इन्हीं भावनाओं के साथ समाज का संचालन भी होना चाहिये। अब यह जो कानून की बात है, अदालत की बात है इस में मैं कहा अपनी स्वीकृति दू क्योंकि यह सारे समाज से सम्बन्ध खोज नहीं रखती है। जो ऊपर का समाज दिखाई पड़ता है उसकी ही ये सब समस्याएँ हैं। गांव में रहने वाला जो समाज है, जिसको हम सर्वहारा समाज कह सकते हैं, जो आदिबासी है, हरिजन है जिसको मैं किसी संज्ञा विशेष से सम्बोधित न करके एक सूत्र में बांध कर सर्वहारा कह देता हूँ उस समाज के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक जीवन में बड़ा अन्तर नहीं है, वे अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर लेते हैं, कष्ट

[श्री राम सहाय पांडे]

सिविलाइजेशन अभी तक पहुंचा नहीं है, दीपक अभी तक पहुंचा नहीं है, आधुनिक सभ्यता और संस्कृति बड़ा लग पहुंचा नहीं है, अच्छे कपड़े, साफ सुधरे कपड़े पहन कर अगर हम जगदलपुर या बस्तर के क्षेत्र में जाए तो लोग हमको देख कर भाग जाएंगे और हम उनको असभ्य समझते हैं जबकि वे असभ्य हैं नहीं क्योंकि प्रकृति के वे बड़े निकट हैं उनको इस तरह का लै. स्मिशन छूता नहीं है। लेकिन बूक समस्या है इसलिए उमका समाधान भी होना चाहिए। कानन ने स्वीकार किया है कि यदि पति और पत्नी का विवाह मपल नहीं हुआ है, वे अलग होना चाहते हैं तो उसके लिए स्वरित कार्रवाई क. गु. - 1 इन्हें भी होना चाहिये। ऐसा न हो कि काननो कार्रवाई हाते होते चालीस बरस को महिला हो जाए। निम्नमे जी ने गिना कर बता दिया है कि पांच बरस मुकदमे में पहले लग जायें और उनके बाद किम किम काम में कितना कितना समय लगग और इस तरह से उसकी चालीस साल की उम्र हो जाएगी। अगर वह चालीस बरस या उसके ऊपर की हो गई तो कौन उसमें विवाह करेगा। हमारी जन सख्या बहुत ज्यादा है और दोनों का अनुपात बराबर बराबर का मा है। तब उसके लिए विवाह का रास्ता बन्द हो जाएगा जबकि पुरुष के लिए रास्ता खुला रहेगा और वह कर सकेगा अगर माघन उसके पाम है, धन उसके पाम है। मैं इसको तुलनात्मक दृष्टि में दे रहा हूँ। स्त्री और उम्र साथ साथ चलते हैं - बकि जबकि पुरुष के साथ माघन चलते हैं।

श्री रामरत्न शर्मा . औरत के पाम माघन होते हैं तो उम्र नहीं चलती है। पचास साल की अमर वह हो जाए तो भी शादी हो जाती है।

श्री राम सहाय पांडे भगवान करे औरतों के पास भी माघन हो, माघन उनके पास भी चले जाए।

सामाजिक अन्याय का विचार जो महिलाएं हैं, जो महिला वर्ग है, उसको

अनुभव करते हुए हमारे निम्नमे भी इस संघोधन को यहाँ लाए हैं जिसमें मैं समर्थन करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार का अन्याय किसी पर भी न हो। हमने दोनों को बराबरी का दर्जा दिया है। सब से पहली बात तो यही है कि वैवाहिक विच्छेद हो ही नहीं और अगर होने ही हैं तो जल्दी हो, तुरन्त हों ताकि उनकी उम्र रास्ते में बाधक न बने फिर चाहे कोई हिन्दू हो या मुसलमान हो। कानून की आप अगर कल्पना करते हैं तो जन मन्थर को बात भी आप सोचें, विच्छेद की बात भी सोचें, न्याय देने की बात भी सोचें, त्वरित निर्णय अदालतों से दिए जाए इसको भी आप सोचें।

मैं यह रट रहा था कि वैवाहिक जीवन में अगर एक दूसरे के प्रति कोई अन्याय करे तो वह अन्याय बन्द होना चाहिये और इसमें बराबरी का दर्जा होना चाहिये।

लेकिन एक बात और है, हिन्दू मरिज एक्ट में जो विवाह को उम्र निर्धारित की गई है इसको बढ़ा देना चाहिये। जैसे हमारे राजनीतिव नेता रहते हैं कि वोट देने की उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दीजिये, उस पर विचार हो सकता है लेकिन यह भी विचार करना चाहिये कि विवाह को उम्र बढ़ा देनी चाहिये ताकि समस्या को वृद्धि पर नियंत्रण किया जा सके।

शारदा एक्ट लगा, लेकिन देहातो में क्या होता है? उसका पालन नहीं होता। 14, 15 वर्ष की उम्र में विवाह हो जाता है। 16 वर्ष की उम्र में बच्चा हो जाता है और फिर बच्चों की लाइन लग जाती है।

जहां माननीय सदस्य वैवाहिक जीवन को मुसकृत, स्वच्छ बनाना चाहते हैं और उसमें न्याय देना चाहते हैं, वहां यह भी सोचने की आवश्यकता है कि हमारा आने वाला समाज भी स्वच्छ हो।

इन शब्दों के साथ मैं श्री मधु निम्नमे की भावनाओं को प्रशंसा करता हूँ और उन्होंने जो

[श्री राम सहाय पांडे]

कल्पना को है, वह सफल हो इस भावना के साथ इस बिल का समर्थन करता हूँ।

श्री राम रतन शर्मा (बादा) : समापति जी, मुझे यह लगना है कि यह अमॉडमेंट करते हुए श्री मधु लिये जी कुछ धर्मित हो गये, कुछ चक्कर में पड़ गये। क्योंकि इसमें केवल उन्होंने वर्ष घटाने की बात कही है। जिस प्राचीन मे दो साल का समय है, उसको 6 महीने करने के लिये कहा है और जिसमें 6 महीने का समय है उसको 3 महीने करने के लिये कहा है। लेकिन जैसी कि भावना उन्होंने और श्री पांडे जी ने व्यक्त की है उससे तो यह लगता है कि बीच में जब एक ज्यूडीशियल जजमेंट हो गया तो फिर समय की क्या बात है, कोई समय नहीं रखिये। जब ओरिजनल लैजिस्लेशन आया तो समय क्यों रखा गया, इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

इससे पहले विवाह सम्बन्ध क्यों होता है, उसकी भावना पर विचार करना होगा। हिन्दूओं और मुसलमानों तथा दूसरी जातियों के विवाहों पर चर्चा करते हुए मनुष्य मात्र की कल्पना की गई है। परन्तु मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि विवाह के सम्बन्ध में हिन्दू, मुसलमान और ईसाइयों में मूलभूत अन्तर है। विवाह की सर्वमान्य परिभाषा यह मानी गई है : **सोगलाइज्ड सैक्सुअल इंटरकोर्स एंड प्रोक्लीएशन आफ बिडरैन**। मुसलमानों में और ईसाइयों में ...

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : यह बहुत अन्यायपूर्ण बात है। इसकी अचीरिटी क्या है ?

श्री राम रतन शर्मा : यह चाहे अन्यायपूर्ण हो या न्यायपूर्ण, लेकिन यह तथ्य है।

हिन्दूओं में यह आत्मा और आत्मा का मिलन है। मेरे ख्याल में जब से इस विवाह पद्धति की उत्पत्ति हुई है, वह चाहे जिस समाज में हो, चाहे जिस जाति, धर्म में हो वह आत्मा और आत्मा में तादात्म्य स्थापित करने के लिये हुई।

समापति महोदय : आपका कहना यह है कि शरीर का मिलन न भी हो, आत्मा का मिलन हो गया तो विवाह हो गया ?

श्री राम रतन शर्मा : आप सही कहते हैं। यह शरीर मिले भी और आत्मा न मिले, तब यह बातें उत्पन्न होती हैं। इसीलिये मैंने कहा कि प्रारम्भिक तो आत्मा और आत्मा का मिलन है, उसके बाद आगे प्रक्रिया चलती है। शरीर का मिलन तो अवश्यम्भावी है।

सबसे बड़ी बात बहु-पत्नित्व और बहु-पतित्व की कही गई है। लेकिन किसी ने बहु-पतित्व की बात नहीं की, इसलिये कि आज हम महिलाओं का अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष मना रहे हैं। पता नहीं हमारे दोनों पहले बोलने वाले भाई क्यों डरते हैं। वह यह क्यों भूलते हैं कि जिस तरह से बहु-पत्नित्व की प्रथा किसी किसी समाज और जाति में कायम है उसी तरह से बहु-पतित्व की प्रथा आज भी कायम है और पहले भी थी। उदाहरण के लिये मैं द्रोपदी का उदाहरण ले सकता हूँ। 5 पति थे उनके। जब भी किसी इतिहास में किसी एक का चरित्र आता है तो ऐसा लगता है कि उस समय का वह समाज का दर्पण है। वही और भी बहुत सी स्त्रियों के बहुत पति हुआ करते थे। आज भी कुछ जातियों में और कुछ समाज में बहु-पति की प्रथा है। बड़े भाई की औरन अपने आप सब भाईयों की औरत होती है। आप पता लगाइये कि यह सही है या नहीं। इन सब प्रथाओं का अन्त होना चाहिये।

इसका मतलब यह नहीं है कि मैं बहु-पत्नित्व प्रथा का कोई समर्थन कर रहा हूँ। यह समाज में एक कोड है और इसको समाप्त होना चाहिये। इसके कायम रहने का कोई औचित्य नहीं है। पुरुषों और महिलाओं की समस्याएं, जहां इस विवाह के सम्बन्ध को लेकर हैं, दोनों अलग अलग हैं। स्वभाव से क्रुएलिटी आदमी में भी हो सकती है। और औरत में भी हो सकती है। दोनों पक्ष समान हैं और दोनों ही बर्दास्त करते हैं। इसलिये जो डिस्सीयूशन आफ मैरिज तलाक का जो बिल हमने स्वीकार किया है, उसमें यह भावना है कि अगर किसी भी तरह पति, पत्नी मिलकर अपनी गाड़ी को चला नहीं पाते हैं तो उनको अलग होने के लिये एक रास्ता आवश्यक है और वह रास्ता इस कानून के

[श्री राम रतन शर्मा]

जरिये दिया गया है। जिस समय यह बिल लाया गया होगा उस समय के लैजिस्लेटर्स ते यह सोचा होगा कि एक बार जब जुडिशियल सैपरेशन हो गया, उसके बाद भी उनको समय दें ताकि वे सोचें और समझें। उस समय आदमी 45 वर्ष का हो सकता है और औरत 40 वर्ष की हो सकती है या आदमी 40 वर्ष का हो सकता है और औरत 55 वर्ष की हो सकती है।

मैं एक किस्सा बताता हूँ। मैंने एक मुकदमा जुडिशियल सैपरेशन का फाइल किया, डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में। जिसमें औरत 55 साल की और आदमी 40 साल का था जब कि आदमी और औरत दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं।

आप समझ रहे हैं कि केवल शारीरिक सहवास और सुख-भोग के लिये लोग अदालत में जाते हैं। यह बात एकांगी है, सम्पूर्ण नहीं है। और भी पचासों बातें हो सकती हैं जिनके कारण आदमी और औरत एक-दूसरे का मुंह नहीं देख सकते। तभी वह अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं। फिर उसके बाद 6 महीने या दो साल रुकने के लिये कहा जाये तो इसका क्या औचित्य है। अदालत में कितने दिन तक मुकदमें चलते हैं। दफा 145 में मुकदमों की टाइम-लिमिट 6 महीने है लेकिन ऐसे मुकदमों 6 साल तक चलते हैं।

श्री मधु लिमये जी जब बोल रहे थे तो जनसंघ पर कटाक्ष कर रहे थे।

श्री मधु लिमये : मैंने कटाक्ष नहीं किया।

मैंने फीगर्स के आधार पर यह कहा कि हिन्दूओं में पाबन्दी होने के बावजूद, अनेक शादियाँ हो रही हैं और मुसलमानों में छूट होने के बावजूद भी कम अनुपात है।

MR. CHAIRMAN : Jansangh is more progressive than the Socialists.

श्री राम रतन शर्मा : एकजैक्टली . . .

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : जन संघ में सबसे ज्यादा अविवाहित नेता है।

श्री मधु लिमये : एक दिन मेरी पत्नी ने वाजपेयी जी से पूछा—मिसेज वाजपेयी कहां हैं! तो यह इतने गं रहे कि दो मिनट तक जवाब नहीं दे पाये।

श्री राम रतन शर्मा : हमने कानून बना दिया है कि जो सरकारी कर्मचारी ह . . .

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण अगली बार जारी रखेंगे।

18.00 hrs.

PERSONAL EXPLANATIONS BY MEMBERS

सभापति महोदय : इससे पहले कि हम सदन को स्थगित करें, श्री साल्वे और श्री गांगी शंकर मिश्र अपने व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहते हैं। अध्यक्ष ने उनको अनुमति दी है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : सभापति महोदय, क्या आप ने उस को देख लिया है : वह विवाद का विषय नहीं होना चाहिए।

SHRIN. K. P. SALVE (BETUL) : Sir, I rise on a personal explanation. This morning when I was not in the House Shri Sharad Yadav made an allegation that about 300 Bogus Firms of Indore dealing in Ayurvedic medicines were given import licences worth Rs. 1.90 crores. These licences, it was alleged were sold in black market for several, crores. In this alleged scandal Shri Yadav stated that along with Kumari Vimla Verma, present Health Minister of M. P. I and Shri Gargi Shankar Mishra are also involved.

I must submit that allegations of Shri Yadav against me are not only maliciously false but they only betray a very criminal and dirty mind.

I have never known of any such firm not, even one who has been given import licence. I have never had anything to do whatsoever with any firm of Ayurvedic medicine and its import licences referred to by Shri Yadav.